

(b) if so, the numbers of representation received by Government;

(c) the details of action taken by Government thereon ; and

(d) if no action has been taken so far, the reasons therefor

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL):

(a) In 1978 and 1979, no representation was received. Representations were received in February, 1980.

(b) 45.

(c) The demands made in the representations were examined but could not be acceded to.

(d) Does not arise.

देश में अवैध शस्त्र

2524. श्री तारिक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में अवैध शस्त्रों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन अवैध शस्त्रों के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार शस्त्र लाइसेंस जारी करने में उदारता बरतेगी अथवा इन शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र भकवाणा) : (क) इस समय देश में अवैध शस्त्रों की मात्रा का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) तथा (ग). सरकार देश में अवैध शस्त्रों की समस्या और इसके परिणामों की गंभीरता से अवगत है। अवैध शस्त्रों की समस्या से निपटने और अवैध शस्त्रों तथा गोला बारूद का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु राज्य सरकारों को विभिन्न उपाय करने के लिए समय समय पर अनुरोध जारी किए गए हैं। इस संबंध में हमें राज्य सरकारों से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अग्नेय शस्त्र चाहे वे लाइसेंस शुदा हो अथवा बगैर लाइसेंस के, समाज विरोधी तत्वों के कब्जे में न आयें और गंभीर अपराधों के लिये शस्त्र अधिनियम के अधीन अधिक कड़ी सजा दी जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक अतिरिक्त उपाय के रूप में शस्त्र अधिनियम, 1959 में विस्तृत संशोधन के लिये 24 अगस्त, 1981 को संसद में विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। इसके साथ साथ शस्त्र नियमों का पुनरीक्षण भी किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं ताकि सर्वसाधारण आसानी से शस्त्र प्राप्त न कर सकें। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि देश की विद्यमान स्थितियों में लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने की बजाय इसको कड़ा बनाने की आवश्यकता है।

Creation of Funds by B.H.E.L.

2525. SHRIMATI KISHORI SINHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Bharat Heavy Electricals Ltd. has created a fund for research in power generating equipment;

(b) if so, the details thereof; and